

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 173/2020

बोदूराम पुत्र गुलाबचन्द जाति कुमावत निवासी चेजारों का मोहल्ला, गणेशजी के मंदिर के पास, सीकर, तहसील व जिला सीकर

-वादी-

बनाम

1. गुलाब उर्फ गुलाबचन्द पुत्र रामेश्वरलाल
2. मनोज कुमार उर्फ नवरतन पुत्र गुलाब उर्फ गुलाबचन्द समस्त जाति कुमावत निवासी गणेशजी के मंदिर के पास सीकर,
3. भरत कुमारी पुत्र गुलाब उर्फ गुलाबचन्द जाति कुमावत निवासी इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, शिवकॉलोनी सीकर
4. सुशिला पत्नी रामस्वरूप पुत्री गुलाब उर्फ गुलाबचन्द जाति कुमावत निवासी इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, कंवरपुरा रोड़, शिवकॉलोनी सीकर
5. राधा पत्नी राजवीर पुत्री गुलाब उर्फ गुलाबचन्द जाति कुमावत निवासी ग्राम भौया वाया हर्ष तहसील धोद जिला सीकर
6. रुकमण पत्नी हीरालाल पुत्री गुलाब उर्फ गुलाबचन्द जाति कुमावत निवासी बैध की ढाणी वाया रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. उप पंजीयक सीकर
8. तहसीलदार सीकर

- प्रतिवादीगण -

वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ.

वाद वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को विवादित भूमियों का 1/56-1/56 हिस्से का प्रत्येक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तुर जमाबंदी रहेगा। तहसीलदार सीकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 11.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सीकर